

केस न0.....

(कार्यालय प्रयोगार्थ)

## हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(कृपया दिए गए निर्देश पढ़ें)

प्रवर्जन (माईग्रेशन) प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र

क) अदा की गई राशि.....  
बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर न0

.....  
बोर्ड रसीद संख्या.....  
दिनांक .....

ख) एनरोलमेंट नम्बर .....

ग) परीक्षार्थी का नाम .....

पिता का नाम.....

इस बोर्ड से उत्तीर्ण पिछली परीक्षा का विवरण :

परीक्षा का नाम .....वर्ष .....सत्र .....अनुक्रमांक .....

प्राप्तांक .....श्रेणी .....

संस्था का नाम (यदि मान्यता प्राप्त है) या जिल का नाम जहाँ से स्वयंपाठी (प्राइवेट) विद्यार्थी ने पिछली परीक्षा पास को .....

विश्वविद्यालय/बोर्ड का नाम जहाँ आवेदक माईग्रेट होना चाहता है .....

पता: .....

.....

.....

दिनांक :.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक के लिए)

प्रमाण पत्र संख्या 1

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैंने माईग्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस बोर्ड में पहले आवेदन नहीं किया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

पता .....

.....

.....

(कार्यालय प्रयोगार्थ)

परीक्षार्थी के विवरण का सत्यापन कर लिया गया है। अतः माईग्रेशन प्रमाण-पत्र जारी करने स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करे।

लिपिक (प्रमाण-पत्र)

सहायक(प्रमाण-पत्र)

अधीक्षक (प्रमाण-पत्र)

## आवश्यक दिशा-निर्देश

1. सभी आवश्यक कालम आवेदक द्वारा सावधानीपूर्वक भरे जाने चाहिए। यदि आपका फार्म पूर्ण रूप से नहीं भरा है तो देरी के लिए कार्यालय की जिम्मेवारी नहीं होगी।
2. माईग्रेशन प्रमाण पत्र की फीस निम्न प्रकार से है –
  1. उनके लिए जिन्होंने आठवीं/दसवीं/बारहवीं परीक्षा पास की है। 200/– रुपये
  2. उनके लिए जिनका मूल माईग्रेशन प्रमाण पत्र खो गया है और जिन्हें दूसरा माईग्रेशन प्रमाण पत्र चाहिए। 200/– रुपये
3. माईग्रेशन शुल्क किसी भी केस/स्थिति में वापस नहीं होगा।
4. माईग्रेशन प्रमाण पत्र आवेदन के पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर जारी कर दिया जाएगा, बशर्ते कि आवेदन पत्र पूरी तरह से भरा गया हो और ज़रूरी शुल्क भी अदा किया गया हो। प्रार्थी के अलावा माईग्रेशन प्रमाण पत्र के लिए कोई अन्य व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकता या प्रार्थी स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर सकता। प्रमाण पत्र हमेशा पंजीकृत डाक द्वार भेजा जाएगा।
5. नियमानुसार माईग्रेशन प्रमाण पत्र केवल उन विद्यार्थियों को जारी किया जा सकता है, जिन्होंने आठवीं/दसवीं/बारहवीं कक्षा इस बोर्ड से पास की हो। इन परीक्षाओं/कक्षाओं में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी माईग्रेशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
6. माईग्रेशन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तक बोर्ड के साथ सभी प्रकार के पत्राचार में परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, उत्तीर्ण की गई परीक्षा का विवरण और बोर्ड की रसीद संख्या व अदा किए गए शुल्क की तारीख सहित दी जानी चाहिए।
7. माईग्रेशन प्रमाण-पत्र हेतु बोर्ड कार्यालय की वैबसाईट व हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

नोट: परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले कोई भी माईग्रेशन प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।